

276 TO
23/2

SP CELL
276 TO
23/2


(1) Received by
(2) Case No
(3) Postal Order No
(4) Submitted to

1. Submitted to
2. Submitted to
3. Submitted to

Government of India
Department of Posts
Post office SSPOs, Jodhpur District-Jodhpur
PIN-342001

Acknowledgement of information Request under RTI Act.2005

Registration	342001/jodhpur/2016	Registration date	18-02-2016
Requester name	R S YADAV	Requester address	c/o arjun singh tek shiv mandirke samne wali gali me ratanada jodhpur
Fee paid (RS)	10	Mode of payment	Postal order- 32f446760
Request forwarded to	रेल मंत्रालय	Request letter date	16-02-2016
Address of public authority	श्रीमान् सहायक लोक सूचना अधिकारी रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय रेल भवन रायसिना रोड नई दिल्ली-110001	Nodal officer	


(Central Assistant Public Information Officer)
SSPOs Jodhpur

Note- Please quote the Registration Number for future references

Reg no-342001/Jodhpur/2016

Date-18-02-2016

Application forwarded to-

श्रीमान् सहायक लोक सूचना अधिकारी रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय रेल भवन रायसिना रोड नई
दिल्ली-110001

276 TO
23/2

स्वयंसेवा आधकार अधिनियम - 2005 के अधिनियम आवेदन

सेवा में

श्रीमान, सहायक लोक सूचना अधिकारी
बैलकै लॉड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, रायचिना रोड
नई दिल्ली - 110001

इसका श्रीमान, वैश्विय सहायक लोक सूचना अधिकारी शंभु प्रवर अधिकारी
डाक्टर, जोधापुर

विषय: सूचना अधिष्ठा अधिनियम - 2005 के तहत रेलवे कर्मचारी
(लोकल पायलट/सहायक लोकल पायलट) द्वारा लिये जाने वाले
LAP/CL अवकाश और सालाहिक रैस्ट के सम्बन्ध में।

A. आवेदन: आर० एस० भाबल

B. पत्र व्यवहार का पता: 0% अर्जुन सिंह चॅण्ड,

शिव मंदिर के सामने वाली गली में

बालनाइफ, जोधापुर - 342011

(बाजस्थान)

C. सम्बन्धन शील्ड: भारतीय पोस्टल आर्डर (B.P.O)

D. डाक कोड आं संख्या: - 32 F 44 676


दिनांक: 08.07.2016

आवेदन शुल्क: - 10.00 रु०

E. सूचना उपरोक्त पत्र व्यवहार के पत्र पर प्रेषित करें।

F. वैश्विय सूचनाएं:-

(1):- रेल कर्मचारी (लोकल पायलट और सहा. लोकल पायलट) द्वारा
सुनलम विरने दिनांक का LAP अवकाश लेने पर, LAP अवकाश
के पूर्ण सालाहिक रैस्ट और LAP अवकाश के सुललाद सालाहिक



(2) रेल कर्मचारी (लोक पायलट और सहायक लोक पायलट) द्वारा
CL अवकाश लेने पर, न्यूनतम किलो दिनांक का CL अवकाश
लेने पर कर्मचारी को CL अवकाश के पूर्ण और CL अवकाश
के तुरंत बाद साप्ताहिक रेट्स देना होगा। यह सम्बंध में
रेलवे बोर्ड का फल भी प्रति उपलब्ध करेगा।

(3) क्या रेल कर्मचारी को LAF अवकाश और CL अवकाश
लेने के पूर्ण और अवकाश के तुरंत बाद साप्ताहिक रेट्स देना
है या नहीं। इसकी सम्बंधित रेलवे बोर्ड प्रति उपलब्ध करेगा।

(4) क्या रेल कर्मचारी को LAF अवकाश और CL अवकाश लेने
के तुरंत बाद साप्ताहिक रेट्स देना होगा जैसे आवेदन की
कारिगार विमा जा सफल है अर्थात् रेल कर्मचारी अपने
अवकाश के दौरान डेप्युटी के आर वहा हो।
सुपनाट यदि आपके विभाग से सम्बंधित न हो तो आवेदन पत्र
को सम्बंधित विभाग/कार्यालय को प्रेषित करें और इसकी सूचना
मुझे देने की व्यवस्था करें।

J. S. Yadav

आपके लिए आरंभ में सफल

26 अक्टूबर 1970

1st Lt. J. S. Yadav

सिखा:

आरंभ में सफल

1. आरंभ में सफल

1. आरंभ में सफल

1. आरंभ में सफल

1. आरंभ में सफल